अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

GRANT No. 62 - DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	29830,65,00	29830,72,00	26311,41,43	-3519,30,57
पूरक	Supplementary	7,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1986,02,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	403,18,00	403,19,00	300,18,58	-103,00,42
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				78,86,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	28904.00			
पू.	S.	1.00	17337.00	14869.36	-2467.64
पु.	R.	-11568.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	32398.00	906.26	..	-906.26
पु.	R.	-31491.74			
मुख्य शीर्ष "2700"	Major Head "2700"				
मुख्य सिंचाई	Major Irrigation				
मू.	O.	750000.00	395955.00	395486.06	-468.94
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-354046.00			
मुख्य शीर्ष "2701"	Major Head "2701"				
मध्यम सिंचाई	Medium Irrigation				
मू.	O.	694533.00	601549.49	576514.22	-25035.27
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-92985.51			
मुख्य शीर्ष "2702"	Major Head "2702"				
लघु सिंचाई	Minor Irrigation				
मू.	O.	40234.00	40550.00	37740.29	-2809.71
पु.	R.	316.00			
मुख्य शीर्ष "2711"	Major Head "2711"				
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Flood Control and Drainage				
मू.	O.	3317.00	18559.00	16584.91	-1974.09
पु.	R.	15242.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	572720.00			
पू.	S.	1.00	538581.00	502780.94	-35800.06
पु.	R.	-34140.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in aid to State Governments				
मू.	O.	844679.00			
पू.	S.	2.00	1157762.25	1076529.23	-81233.02
पु.	R.	313081.25			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	8302.00	5302.00	3007.56	-2294.44
पु.	R.	-3000.00			

(I) ₹39602.25 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹38498.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से अंशदान" –

(I) Provision of ₹39602.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2024) remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹38498.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region." -

(i) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹3000.00 लाख;

(ii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना" – ₹1000.00 लाख;

(ख) "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय" –

(i) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹10000.00 लाख;

(ii) "ब्रह्मपुत्र बोर्ड" – ₹5000.00 लाख;

(ग) "सामान्य – अन्य व्यय (मध्यम सिंचाई)" –

(i) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹978.00 लाख;

(ii) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹3000.00 लाख;

(iii) "उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान" – ₹2400.00 लाख;

(घ) "सामान्य – अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹5120.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए

(i) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - ₹3000.00 lakhs;

(ii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/ Special Project" - ₹1000.00 lakhs;

(b) "Flood Control - Other Expenditure" -

(i) "River Basin Management" - ₹10000.00 lakhs;

(ii) "Brahmaputra Board" - ₹5000.00 lakhs;

(c) "General - Other Expenditures (Medium Irrigation)" -

(i) "Development of Water Resources Information System" - ₹978.00 lakhs;

(ii) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹3000.00 lakhs;

(iii) "North Eastern Regional Institute of Water and Land Management" - ₹2400.00 lakhs;

(d) "General - Research - National Hydrology Project" - ₹5120.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Flood Management and Border Areas Programme" - ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern

जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" – ₹3000.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख संघ राज्य क्षेत्रों से निधियों की मांग न होने के कारण।

(ख) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹2000.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सचिवालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" – ₹11882.15 लाख की बचत (₹21997.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेशेवरों की नियुक्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, अंतरिक्ष विभाग को पूंजीगत भाग के माध्यम से उपग्रह का भुगतान करने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य कार्यालय – राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण" – ₹1304.44 लाख की बचत (₹1978.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय उपयोग के लिए भूमि और भवन के पट्टे के अनुमोदन में देरी, डीईओ की निविदा में देरी और कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2700" – "सामान्य" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" - ₹3000.00 lakhs - due to less requirement of funds by the implementing agency.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹2000.00 lakhs - due to non-demand of funds from UTs.

(b) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" - saving of ₹11882.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21997.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards hiring of professionals, payment of satellite to Department of Space through capital section and less tours undertaken.

(B) "Other Offices - National Dam Safety Authority" - saving of ₹1304.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1978.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in approval for leasing of Land and Building for office use, delay in tendering of DEOs and receipt of less medical claims.

(III) Under Major Head "2700" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – नदियों को जोड़ना" – ₹204514.92 लाख की बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹400001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Interlinking of Rivers" - saving of ₹204514.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹400001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) was due to requirement of less funds by the organizations/implementing agencies.

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – नदियों को जोड़ना" – ₹150000.02 लाख की बचत (₹350000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि अवसंरचना विकास निधि (एआईडीएफ) में कम निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Interlinking of Rivers" - saving of ₹150000.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350000.00 lakhs) was due to less transfer of funds to Agriculture Infrastructure Development Fund (AIDF).

(IV) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(IV) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान" –

(A) "Research" -

(क) "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹21080.71 लाख की बचत (₹55380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने/उपयोग न करने और कम पेशेवरों को काम पर रखने के कारण हुई।

(a) "National Hydrology Project" - saving of ₹21080.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55380.00 lakhs) was due to less requirement/non-utilization of funds by the implementing agencies and hiring of less professionals.

(ख) "अनुसंधान एवं विकास तथा राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन" – ₹1971.17 लाख की बचत (₹5202.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम आवश्यकता, लघु सिविल और विद्युत कार्यों का मूर्त रूप न लेने तथा कम पेशेवरों को काम पर रखने के कारण हुई।

(b) "Research and Development and Implementation of National Water Mission" - saving of ₹1971.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5202.00 lakhs) was due to less requirement by the implementing agencies, non-materialization of minor civil and electric works and hiring of less professionals.

(खा) "अन्य व्यय" –

(B) "Other Expenditure" -

(क) "बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)"– ₹600.01 लाख की बचत (₹4674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, कम दौरे

(a) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹600.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4674.00 lakhs) was due to conduction of

किए जाने और परिकल्पित गतिविधियों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

less training programmes, less tours undertaken and non-materialization of envisaged activities.

(ख) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹1271.17 लाख की बचत (₹5416.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जांच कार्यों के लिए बोलियां प्राप्त न होने तथा परिकल्पित गतिविधियों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(b) "River Basin Management" - saving of ₹1271.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5416.00 lakhs) was due to non-receiving of bids for investigation works and non-materialization of envisaged activities.

(ग) "अटल भूजल योजना" – ₹118427.98 लाख की बचत (₹177800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(c) "Atal Bhujal Yojana" - saving of ₹118427.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹177800.00 lakhs) was due to less requirement of funds by the implementing agencies.

(घ) "राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी" – ₹718.66 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा और एलटीसी के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(d) "National Water Development Agency" - saving of ₹718.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical and LTC claims.

(V) मुख्य शीर्ष "2702" – "भूजल – जांच" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(V) Under Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय भूजल बोर्ड" – ₹599.81 लाख की बचत (₹29650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा मरम्मत और रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Central Ground Water Board" - saving of ₹599.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29650.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, retirement of regular employees and requirement of less funds towards repair and maintenance.

(खा) "भूजल प्रबंधन एवं विनियमन" – ₹1607.59 लाख की बचत (₹9395.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति और डिजिटल उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

(B) "Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹1607.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9395.00 lakhs) was due to less requirement of funds by the implementing agencies, receipt of less medical claims and less purchase of digital equipment.

(VI) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – निदेशन और प्रशासन – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹1166.71 लाख की बचत (₹3317.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिकल्पित गतिविधियों के कार्यान्वयन का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2711" - "Flood Control - Direction and Administration - Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹1166.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3317.00 lakhs) was due to non-materialization of envisaged activities.

(VII) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय गंगा योजना" के अंतर्गत ₹75059.17 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹334570.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VII) Under Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National Ganga Plan" - saving of ₹75059.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹334570.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2024);

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(VIII) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹14091.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" – ₹1665.98 लाख की बचत (₹3410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹4315.26 लाख की बचत (₹35457.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों तथा मराठवाड़ा के शेष दीर्घकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट के समाधान हेतु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज" – ₹41405.97 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National River Conservation Plan" - saving of ₹14091.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs);

(b) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - saving of ₹1665.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3410.00 lakhs);

(c) "Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹4315.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35457.00 lakhs);

(d) "Special package for Completion of Irrigation Projects to address agrarian distress in districts of Vidarbha and Marathwada and other chronically drought prone areas rest of Marathwada" - saving of ₹41405.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs); and

(ङ.) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" – ₹130296.07 लाख की बचत (₹136500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(e) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" - saving of ₹130296.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹136500.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

Savings under the above six heads were due to less requirement of funds by the implementing agencies.

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना" – ₹46000.01 लाख की बचत (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि अवसंरचना विकास निधि में निधियों के कम अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Project" - saving of ₹46000.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00 lakhs) was due to less transfer of funds to Agriculture Infrastructure Development Fund (AIDF).

(IX) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं– केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" के अंतर्गत ₹1000.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IX) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National River Conservation Plan" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to less requirement of funds by the implementing agencies.

(X) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹852.27 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थी।

(X) Under two heads savings of ₹852.27 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 17 percent and 33 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹540584.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से अप्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹540584.00 lakhs) unutilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in December, 2024 and March, 2025 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(A) Major Head "2701" - "General" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ" – ₹11128.00

(a) "Direction and Administration - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/

लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9925.10 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय – पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण चुकौती" – ₹13105.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5925.90 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण – आरक्षित निधियों / जमा खातों में अंतरण – राष्ट्रीय गंगा योजना" – ₹5430.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5429.47 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ"–

(क) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय / विशेष परियोजनाएँ" – ₹490533.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹447962.17 लाख था।

(ख) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ – केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹14988.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14987.50 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹5400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5399.50 लाख था।

(II) बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

Special Projects" - ₹11128.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9925.10 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Servicing of Loans from NABARD under PMKSY" - ₹13105.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5925.90 lakhs.

(B) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts - National Ganga Plan" - ₹5430.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5429.47 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated irrigation Benefit Programme and National/Special Projects" - ₹490533.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹447962.17 lakhs.

(b) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National River Conservation Plan" - ₹14988.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14987.50 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Flood Management and Border Areas Programme" - ₹5400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5399.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2701" - "General" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "केन्द्रीय जल आयोग" – ₹2761.01 लाख का अधिक व्यय (₹37928.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराये में वृद्धि तथा अवसंरचनात्मक रखरखाव और कार्यालय परिसर के उन्नयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान" – ₹2256.72 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय – जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹5960.10 लाख का अधिक व्यय (₹8761.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए में वृद्धि, ज्यादा कुशल कार्मिकों की भर्ती, अधिक दौरे किए जाने, कार्यालय रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय" –

(क) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹8927.81 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "ब्रह्मपुत्र बोर्ड" – ₹5506.81 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ"–

(i) "Central Water Commission" - excess of ₹2761.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37928.00 lakhs) was due to increase in rent and requirement of additional funds towards infrastructural maintenance and upgradation of office premises.

(ii) "North Eastern Regional Institute of Water and Land Management" - excess of ₹2256.72 lakhs (against Nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Other Expenditure - Development of Water Resources Information System" - excess of ₹5960.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8761.00 lakhs) was due to increase in rent, hiring of more skilled manpower, more tours undertaken, requirement of additional funds towards office maintenance and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure" -

(a) "River Basin Management" - excess of ₹8927.81 lakhs (against Nil provision);

(b) "Brahmaputra Board" - excess of ₹5506.81 lakhs (against Nil provision); and

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹1951.39 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹50000.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹2000.00 लाख का अधिक व्यय (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अरुणाचल प्रदेश को 363 एसएमआई योजनाओं की केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत व्यय हुईं/हुआ:–

(a) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - excess of ₹1951.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹50000.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2024).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - excess of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of Ist installment of Central Assistance of 363 SMI schemes to Arunachal Pradesh.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4701"	Major Head "4701"				
मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medium Irrigation				
मू.	O.	10452.00			
पू.	S.	1.00	9102.99	7194.10	-1908.89
पु.	R.	-1350.01			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	23670.00	15066.00	14770.84	-295.16
पु.	R.	-8604.00			
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on other General Econimic Services				
मू.	O.	1096.00	3121.50	3048.64	-72.86
पु.	R.	2025.50			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹187.50 लाख का प्रावधान (मार्च, 2025 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹187.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in March, 2025) remained wholly unutilized under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य – अनुसंधान" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(II) Under Major Head "4701" - "General - Research" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹2625.15 लाख की बचत (₹5620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद और परिकल्पित गतिविधियों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

(A) "National Hydrology Project" - saving of ₹2625.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5620.00 lakhs) was due to less procurement of machinery and equipment and non-materialization of envisaged activities.

(खा) "अनुसंधान एवं विकास तथा राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन" – ₹523.82 लाख की बचत (₹1504.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और आईसीटी

(B) "Research and Development and Implementation of National Water Mission" - saving of ₹523.82 lakhs (against the sanctioned provision of

उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4702" – "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केन्द्रीय भूजल बोर्ड" – ₹1331.41 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रक्रिया को मंजूरी न मिलने तथा परिकल्पित गतिविधियों के अनुमोदन में देरी के कारण हुई।

(खा) "भूजल प्रबंधन एवं विनियमन" – ₹7139.84 लाख की बचत (₹20605.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रक्रिया का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1032.99 लाख की बचत हुई, जिसमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं तथा स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थी।

4.(I) उपर्युक्त बचत मुख्य शीर्ष "5475" – "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय – आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹2255.38 लाख का अधिक व्यय (₹525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹255.45 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत है।

₹1504.00 lakhs) was due to less procurement of machinery and ICT equipment.

(III) Under Major Head "4702" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Ground Water Board" - saving of ₹1331.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to non-approval of procurement process and delay in approval of envisaged activities.

(B) "Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹7139.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20605.00 lakhs) was due to non-materialization of procurement process.

(IV) Under three heads savings of ₹1032.99 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 24 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "5475" - "Direction and Administration - Secretariat - Economic Services" - excess of ₹2255.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹525.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards committed liabilities.

(II) Under one head excess of ₹255.45 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.